उत्तर प्रदेश शासन
महिला एंव बाल विकास अनुभाग-1
संख्या-1@1368/60-1-13-1/13(9)/13
लखनऊ दिनांक 06 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के अधिसूचना सं0-32/2012 दिनांक 19-06-2012 के अन्तर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनयम 2012 की धारा-1 की उपधारा-(2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम को अंगीकृत करते हुए अधिनियम के उपबन्ध को तत्काल प्रभाव से नियत करती है।

कामिनी चौहान रतन
सचिव ।

संख्या-1368(1)/60-1-13,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

(1) सचिव, महिला एंव बाल विकास मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0, शासन ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
(4) समस्त जिलाधिकारी , उ0प्र0।
(5) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
(8) उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in